न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 478/2016

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. भाणूराम पुत्र तिलोक फौत के
कायम मुकाम :-
1/1 गोविन्द पुत्र भाणूराम
1/2 श्रवण पुत्र भाणूराम
1/3 प्रहलाद पुत्र भाणूराम
2. पप्पूराम पुत्र तिलोक
3. कमला पुत्री तिलोक
4. होमाराम पुत्र मेगा
5. पतासी बेवा मेगा
6. शंकरलाल पुत्र लिछमणराम
7. उगमाराम पुत्र लिछमणराम
8. बीदामी पुत्री लिछमणराम
9. ग्यारसी पुत्री लिछमणराम
10. ढगलाई पुत्री लिछमणराम
11. रामा पुत्र भोला फौत के
कायम मुकाम :-
11/1 दिनेश पुत्र पुखराज
11/2 सुवालाल पुत्र रामा
11/3 अमोलकचन्द पुत्र रामा
जातियान-रेगर, निवासी-आसरलाई,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. चनणा पुत्र लाला
जाति-रेगर,निवासी-आसरलाई
2. उप पंजीयन अधिकारी एवं
तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
3. पटवारी, पटवार हल्का-आसरलाई
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती, घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 तारीख रजू:.14/07/2016

उपस्थितः. 1. श्री महावीरसिंह उदावत, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राजेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 11/02/2017

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती, घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-आसरलाई, पटवार हल्का-आसरलाई, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 243 रकबा 78-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वाद-पत्र के साथ संलग्न हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ही परिवार के सदस्य हैं तथा उदा पुत्र भूरा के वारिसान वादीगण संख्या 1 से 5 हैं तथा भोला पुत्र जयराम के वारिसान वादीगण संख्या 6 से 11 हैं एवं लाला पुत्र जयहिंग के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 चनणा हैं तथा संवत् 2017 से 2020 तथा संवत् 2021 से 2032 तक की बनी जमाबन्दी में उदा पुत्र भूरा, भोला पुत्र जयराम, लालाराम पुत्र जयहिंग का बराबर 1/3-1/3 हिस्सा दर्ज हैं तथा संवत् 2033 से 2036 की जमाबन्दी में भोला पुत्र जयराम फौत होने पर उसके

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

1/3 हिस्से का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 362 स्वीकृत कर भोला के 1/3 हिस्से के स्थान पर लिछमण, रामा पुत्र भोला का नाम दर्ज किया गया तथा उसके बाद बनी जमाबन्दी में पटवारी हल्का ने लिपिकीय त्रुटि से वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जो गलत हैं, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं। क्योंकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 उदा, लाला पुत्र जयहिंग एवं भोला पुत्र जयराम एक ही दादा की वारिसान थे उनके नाम उक्त कृषि भूमि संवत् 2017 से 2020 की जमाबन्दी में दर्ज हैं। सम्पूर्ण जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद-पत्र के साथ पेश की हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीगण संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 6 से 11 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा हैं तथा इसी हिस्सेनुसार अपने पूर्वजों के समय से ही वादीगण एवं प्रतिवादी मौके पर काबिज होकर बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त होने से वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से ऋण लेने बाबत् पटवारी हल्का से राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 16/06/2016 को ली तब वादीगण को जानकारी हुई कि वादीगण का नाम 1/2 हिस्से में व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज हैं, तो वादीगण ने राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती एवं बंटवाड़ा बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 को कहा, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने से स्पष्ट ईन्कार कर दिया एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण आराजी को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करने की ऐलानिया धमकी दी। अगर प्रतिवादी संख्या 1 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता हैं, तो वादीगण को अपने साम्पैतिक हक अधिकारों से हमेशा-हमेशा के लिये वंचित होना पड़ेगा एवं वादीगण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगा, मौके पर लडाई झगड़ा व टन्टा फसाद होगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढ़ेगी तथा मुकदमें बाजी होगी, जिसमें वादीगण खर्चे से जैरबार हो जायेगें। इसलिए इन तमाम परिस्थितियों में वादीगण के पास न्यायालय ही शरण लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राज्य सरकार के प्रतिनिधि कर्मचारी एवं अधिकारी हैं, जिनके विरूद्ध वाद-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु वाद अति आवश्यक प्रकृति का होने से एवं नोटिस देने में समय लगेगा। तब तक वादीगण का वाद करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वाद-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुमति बाबत् धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र अलग से वाद-पत्र के साथ संलग्न हैं। बिनायवाद दिनांक 19/06/2016 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने एवं बंटवाड़ा करने बाबत् कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्पष्ट रूप से ईन्कार करने एवं उक्त आराजी का बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम-आसरलाई, तहसील-जैतारण में उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से उक्त वाद-पत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश किया हैं।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा एवं ईकबालिया जबाबदावा पेश किया, सा0मि0 हैं। वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। वकील वादीगण की ओर से शहादत वादीगण के साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किये, जिस सा0मि0 किये गये। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

243 रकबा 78–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी के 1/2 हिस्सा के स्थान पर वादीगण संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 6 से 11 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात इकबालिया जबाबदावा का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। मौजा–आसरलाई के खसरा नम्बर 243 रकबा 78–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी के 1/2 हिस्सा के स्थान पर वादीगण संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 6 से 11 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा–आसरलाई, पटवार हल्का–आसरलाई, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 243 रकबा 78–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2016/2104 दिनांक 21/11/2016 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/55 दिनांक 04/01/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–आसरलाई, पटवार हल्का–आसरलाई, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 243 रकबा 78–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	चनणा पुत्र लाला कौम–रेगर सा0 देह खातेदार।	243	26-05-00	बा0अ0	16.27 रू.
2	शंकरलाल उगमाराम पि0 लिछ्मणराम, ग्यारसी बिदामी ढगलाई पुत्रियाँ लिछ्मणराम, रामा पुत्र भोला	243/1	26-05-00	बा0अ0	16.27 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

3	भाणूराम पप्पुराम पि0 तिलोक, कमला पुत्री तिलोक, होमा पुत्र मेघा, मु0 पतासी बेवा मेघा	243/2	26-06-00	बा0अ0	16.30 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/02/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)